साहिबगंज नगर परिषद्, साहिबगंज।

पत्रांक– 352 / न0प0, दिनांक– 10-2-18

–: आवश्यक सूचना :–

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियक–2011 की सुसंगत धाराओं के तहत् आम नागरिकों को पुनः सूचित किया जाता है कि :–

1. जिनके द्वारा अभी तक दुकान एवं मकान, प्रतिष्ठान का होल्डिंग टैक्स सैफ फार्म में भरकर जमा नहीं किया गया है वे अपना सम्पत्ति कर नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं0–7891 दिनांक–12.12.2017 के द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि के बिना टैक्स अदा करने हेतु दिनांक–31.03.2018 तक छूट दिया गया है। अतः दिनांक–31 मार्च,2018 तक बिना जुर्माना राशि के टैक्स अदा कर सकते हैं। इसके पूर्व भी आम नागरिकों को इसकी सूचना दी जा चुकी है।
2. झारखण्ड सरकार के अधिसूचना के आलोक में सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन अथवा सामग्री को बेचना पूर्णताः प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन अथवा प्लास्टिक कैरी बैग में सामग्री को बेचते पाया जाता है तो नियमानुसार दण्ड सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
3. सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि साहिबगंज नगर परिषद् के द्वारा बड़े एवं छोटे नालियों का विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिनके द्वारा भी दुकान/मकान के बाहर नालियों का अतिक्रमण किया गया है वे सड़क एवं नालियों को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करेगें। अन्यथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में पूर्व में भी माईकिंग एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है।
4. नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत सभी मांस बिक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि साहिबगंज नगर परिषद् में 28 फरवरी तक NOC प्राप्त कर अनुज्ञप्ति बनाना सुनिश्चित करेगें। अन्यथा नियमानुसार गैर अनुज्ञप्ति धारी दुकानों पर जुर्माने के साथ अनुज्ञप्ति देने की कार्रवाई की जायेगी।
5. सभी टोटो चालक 15 दिनों के अंदर नगरपरिषद कार्यालय से निर्धारित शुल्क एक हजार रूपये (वर्ष 2018–19) के लिए जमा कर नगर क्षेत्र में चलाने हेतु परमीट सट्रिफिकेट प्राप्त कर लें अन्यथा अवैध रूप से नगर परिषद क्षेत्र में चलने वाले ई–रिक्शा को जब्त किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सूचित किया जाता है कि टोटो चालन का परमीट नगर परिषद् कार्यालय से ही प्राप्त करें । टोटो परमीट के नाम पर अवैध वसूली करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् साहिबगंज।

ज्ञापांक 352 / SBM, साहेबगंज, दिनांक – 10-2-18

प्रतिलिपि– प्रचारक, विजय चौरसिया, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार–प्रसार अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगतार 7 दिनों तक सभी वार्डो मे करना सुनिचित करेगें। (बाजार, मार्केट एरिया (एन0एच0–80) में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेगें तथा मुख्य–मुख्य स्थान के स्थानीय नागरिकों से प्रचार नोटिस में हस्ताक्षर करा कर अभिश्रव प्रस्तुत करेगें।)

प्रतिलिपि– निदेशक, न0प्र0नि0 झारखण्ड सरकार रॉची/ उपायुक्त, साहेबगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी नोडल पदाधिकारी/AE/ SBM प्रभारी/ PMAY शाखा/ सफाई प्रभारी/NULM/ स्वच्छताग्रही/सभी तहसीलदार/TD/SPS/ सभी वार्ड उप उपसमिति, नं0प0 से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी वार्ड पार्षद को पुनः सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संपादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों को पुनः सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– स0लेखापाल/नाजिर, सा0 नगर परिषद् को सूचनार्थ। आदेश दिया जाता है कि विभागीय अधिसूचना सं0–7891 दिनांक–12.12.2017 एवं पत्रांक–464 दिनांक–27.01.2018 के आलोक में प्रचार–प्रसार का बील का भुगतान SPS के द्वारा किया जायेगा।

साहेबगंज नगर परिषद कार्यालय स्थापित-1883 झारखण्ड

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद साहेबगंज